संख्याः– 62 /XXVII(1)/ 2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 10 :फरवरी,2011

विषयः–द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010–11 की चतुर्थ किश्त हेतु वित्तीय संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010–11 की चतुर्थ किश्त हेतु कुल धनराशि **₹105800000.00 (₹दस करोड़ अट्ठावन लाख मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2–उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

1– संक्रमित की जा रही धनराशि प्रथमः वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय की जायेगी तथा शेष धनराशि विकास कार्यों पर व्यय की जायेगी।

2–कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल सम्बंधित मण्डलायुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

3– संक्रमित धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्याः–1674/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर,2006 द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के अनुसार व्यय की जायेगी। इसमे किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि इसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी तथा शासन के अनुमोदन के उपरान्त ही बदलाव अनुमन्य होगा।

4– संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

5– उपयोग प्रमाण–पत्र सम्बंधित आयुक्त से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा।

6– संक्रमित धनराशि वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक –3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थाएं–196–जिला पंचायतें/परिषदें–03–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

भवदीया

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्याः– 62 (1)/XXVII(1)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उत्तराखण्ड।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
8– निदेशक,लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
11–एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्याः– 62 /XXVII(1)/2011 दिनांकः 10 फरवरी,2011 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला पंचायतों को देय अनुदान का संकमण।

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र0सं0	जिला पंचायत	चतुर्थ किश्त
1	2	3
1	अल्मोड़ा	9042
2	बागेश्वर	3205
3	चमोली	7532
4	चम्पावत	2723
5	देहरादून	8671
6	हरिद्वार	11892
7	नैनीताल	6021
8	पौड़ी गढ़वाल	22036
9	पिथौरागढ़	7766
10	रुद्रप्रयाग	3328
11	टिहरी गढ़वाल	8826
12	उत्तरकाशी	5816
13	ऊधमसिंह नगर	8942
	योगः–	**105800**

(₹दस करोड़ अट्ठावन लाख मात्र)

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।